

7

संख्या-1020/11-3-2022

प्रेषक,
सुनील यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 16 अगस्त, 2022

विषय:- मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।
महोदया,

उपर्युक्त विषयक सचिव, राज्य योजना आयोग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-07-2022 को मूलरूप में प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(सुनील यादव)
उप सचिव।

अपर आयुक्त

(Signature)

*आपकी
सूचना के अनुसार
22/8/22*

आयुक्त
22-8-22

171
16-11-2022

2162 IT
24/08/2022

1331

JC(IT)

(Signature)
अपर आयुक्त
23/08/2022

(Signature)
16/11/2022

जनसूचना अनुभाग से
सम्बन्धित न होने के कारण
रूलरूप से वापस।
16.11.22
(जनसूचना)

RD-
जनसूचना अनुभाग को
उपस्थित करें।
(Signature)
सं.अंक 1T

731

4033/PS/ST/22

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग- 1
(नियोजन विभाग)

संख्या- (1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32

लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2022

कार्यालय - ज्ञाप

वि.स.(LRM)

(Handwritten signature)
25/7/22

(शिवप्रिय रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिवमें सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1164/PS/ST/22
25-07-22
प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्ड में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु शोधार्थियों का चयन किया जायेगा। यह कार्य शोधार्थियों द्वारा उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी सम्पादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आँकड़ों का संकलन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा। शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे, साथ ही शोधार्थियों द्वारा योजना से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जायेगा। फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देश नियोजन विभाग की वेबसाइट www.planning.up.nic.in तथा CMIS Portal पर अपलोड किये जायेंगे।

सर्वज्ञ राय शिवा
विशेष सचिव
राज्य योजना आयोग
लखनऊ

उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय, जिससे प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के इच्छुक प्रतिभाशाली एवं ऊर्जावान युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही संलग्न विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

(Handwritten signature)
25/7/22
(आलोक कुमार)
सचिव

25/7/22
S.O-3
25-7-22


(Handwritten signature)
25/7/22

संख्या - (1465/22)17एम(21)/35-आ-1/2019-32 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं / सभी सम्बन्धित को सूचित करने का कष्ट करें।
- (4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (5) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (6) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
- (8) नियोजन विभाग/ राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,


(अमित सिंह बसल)
विशेष सचिव।

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकास खण्ड (संलग्नक -1) में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार/सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जायेगा।

1- फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों/ शोधार्थियों का चयन किया जायेगा।

1. कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं संबद्ध क्षेत्र	5. पर्यटन एवं संस्कृति
2. वन, पर्यावरण और जलवायु (Climate Resilience)	6. डेटासाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई.टी., आई.टी.ई.एस., जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग डेटा गवर्नेंस आदि
3. शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास	7. बैंकिंग, वित्त एवं कर राजस्व
4. ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा	8. लोक नीति एवं गवर्नेंस

आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्र भी विचारणीय हो सकते हैं।

2. पात्रता

कार्यक्रम में चयन हेतु अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत होगी:

1. प्रमुख संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता।
2. हिन्दी (देवनागरी लिपि) भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव (फेलोशिप से सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रों विषयक लेख प्रकाशन/ नीति पत्रों /शोध पत्रों/ मूल्यांकन/

परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा।)

4. आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा Information and Communication Technology अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार-कौशल भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जा सकती है।
5. अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है।

3. आयु सीमा

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. भूमिका एवं उत्तरदायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खण्ड(संलग्नक-1) हेतु शोधार्थियों का चयन किया जायेगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

शोधार्थी द्वारा आकांक्षात्मक विकास खण्ड में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी सम्पादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आँकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा, शोधार्थी द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही शोधार्थी द्वारा योजना से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जायेगा।

शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक डाटा को रियल टाइम संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किया जायेगा। उक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा अथवा टैबलेट क्रय किये जाने हेतु उन्हें एकमुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कार्य की रिपोर्टिंग

उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा सम्पादित गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेंगी:

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जायेगा।
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा सचिव, नियोजन विभाग द्वारा की जायेगी।
3. वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. संग्रहित डेटा का संकलन (रिपोर्ट सहित) प्रस्तुत किये जायेंगे।

6. पारिश्रमिक

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में रु. 30,000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु रु. 10,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। साथ ही, विभागीय योजनाओं/ कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय किये जाने के लिए रु. 15,000/- एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी की सम्बद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति, विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तारित फेलोशिप अवधि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8. अवकाश

आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है।

9. चयन की प्रक्रिया: आवेदन पत्रों का परीक्षण

शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु

वरिष्ठ अधिकारियों/ विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जायेगा:

परीक्षण:

1. अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरान्त हटा दिया जायेगा।
2. **डुप्लीकेसी नियंत्रण:** 01 ईमेल आईडी, फोन नम्बर एवं 01 नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
3. **अभ्यर्थियों की पात्रता:** केवल स्नातक (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) अथवा स्नातकोत्तर या पीएचडी (पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत) छात्र ही पात्र होंगे।
4. **आयु मानदंड:** सभी आवेदन जो 40 वर्ष की आयु के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, अस्वीकार कर दिए जायेंगे।
5. आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) अपलोड नहीं किया गया है, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

10. आवेदन पत्रों का मूल्यांकन

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

11. आब्जेक्टिव स्कोरिंग: 50 अंक

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की आब्जेक्टिव स्कोरिंग की जायेगी। स्कोरिंग के मानक निम्नवत हैं:

शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव:

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
A	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	25
1	स्नातक	15
2	स्नातकोत्तर	20
3	PhD (पूर्ण/ थीसिस प्रस्तुत)	25
B	अन्य विधिक मानदंड	15
1	प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री	3
2	प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य/ लेख	3

3	राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान/ मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार	3
4	संगठनों के साथ स्वयंसेवा	3
5	कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि	3
C	प्रासंगिक कार्य अनुभव	10
1	06 माह से 02 वर्ष	05
2	02 वर्ष से अधिक (PhD डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव नहीं माना जायेगा)	10
	योग	50

12. व्यक्तिगत साक्षात्कार: 25 अंक

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण (SOP) का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से स्कोर किया जायेगा।

कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम

फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में सामान्य परिचय (General Orientation) एवं द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबन्धन एकेडमी (उपाम), लखनऊ द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में IIA एवं IIM जैसी विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी आयोजित कराया जायेगा। नियोजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कोर्स की विषयवस्तु हेतु उपाम से समन्वय किया जायेगा।

14. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन/ कार्य करने के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।
2. फेलोशिप कार्यक्रम, कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा/ रोजगार का आश्वासन नहीं देता है।
3. प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।
4. शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में सम्बद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शोधार्थी के चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन किया जाएगा।
6. फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने सम्बद्धता स्थान पर रहना होगा।
7. शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में सम्बद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा।
8. फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. जनपद / विकास खण्ड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है।

15. प्रबंधन

फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। शोधार्थियों के चयन में AKTU, NIUA एवं UPAAM जैसी विशिष्ट संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों (34 जनपदों) की सूची

क्र०सं०	आकांक्षात्मक विकास खण्ड	जनपद
1	भीटी	अम्बेडकरनगर
2	भियांव	
3	टाण्डा	
4	जगदीशपुर	अमेठी
5	जाम्भौ	
6	शुकुलबाजार	
7	बांसडीह	बलिया
8	चिलकहर	
9	गरवार	
10	हनुमानगंज	
11	मनियर	
12	पन्दह	
13	रसड़ा	
14	सोहांव	
15	बबेरू	बाँदा
16	बिसण्डा	
17	कमासिन	
18	कबरई	महोबा
19	बहेड़ी	बरेली
20	फतेहगंज	
21	मझगवां	
22	रिच्छा (दमखौदा)	

23	शरगढ	
24	पूरनपुर	पीलीभीत
25	हरैया	बस्ती
26	कुदरहा	
27	सल्टौवा गोपालपुर	
28	विक्रमजोत	
29	बघौली	संतकबीरनगर
30	पौली	
31	सांथा	
32	कोतवाली	बिजनौर
33	नजीबाबाद	बदायूँ
34	अम्बियापुर	
35	आसफपुर	
36	कादरचौक	
37	सालारपुर	
38	उसवां	
39	वजीरगंज	
40	देवकली	गाजीपुर
41	मरदाह	
42	रेवतीपुर	
43	सादात	
44	बाराछवार	
45	बिरनो	देवरिया
46	गौरी बाजार	
47	बासगांव	गोरखपुर
48	ब्रह्मपुर	
49	कैम्पियरगंज	

50	विष्णुपुरा	कुशीनगर
51	जालौन	जालौन
52	रामपुरा	
53	मडवारा	ललितपुर
54	अवागढ़	एटा
55	जैथरा	
56	सकीट	
57	नवाबगंज	फर्रुखाबाद
58	राजेपुर	
59	मछलीशहर	जौनपुर
60	रामपुर	
61	औराई	संतरविदास नगर
62	कौशाम्बी	कौशाम्बी
63	मंझनपुर	
64	बहरिया	प्रयागराज
65	कोरांव	
66	मण्डा	
67	महाराजगंज	महाराजगंज
68	मिठौरा	
69	नौतनवा	
70	निचलौल	
71	पनियरा	
72	परथावल	गोण्डा
73	बाभनजोत	
74	पन्धरी कृपाल	
75	रुपईडीह	बाराबंकी
76	निन्दूरा	

11/12/2015

77	पुरेडलई	
78	हलिया	
79	मरिहन (पटेहरा)	
80	नगर सिटी	मिर्जापुर
81	पहाडी	
82	राजगढ़	
83	बांकेगंज	
84	धौरहरा	खीरी
85	ईसानगर	
86	रमियाबेहड़	
87	सण्डीला	हरदोई
88	बिसवां	सीतापुर
89	रजपुरा	
90	संभल	
91	असमोली	
92	बनियाखेड़ा	संभल
93	गुन्नौर	
94	जुवई	
95	पवांसा	
96	सैदनगर	रामपुर
97	गंगीरी	अलीगढ़
98	अमांपुर	
99	गंजडुण्डवारा	कासगंज
100	सोरो	

11/12/2015

अपर आभुक्त शिकार
3050

JK (IT)